संख्या– 26/2021/2437/छप्पन-2020-10(3)/2004टी.सी.-1

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2021

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा में धारा-28ए के अन्तर्गत जमा प्रतिकर धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 98/ना0उ0नि0/2020, दिनांक 10 जून, 2020, पत्रांक: 194/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 07 अगस्त, 2020, पत्रांक: 350/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 एवं पत्रांक: 425/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार को विजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुडौरा में वाद संख्या-30/2004, राधेलाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार अन्य भू-स्वामियों द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सन्दर्भ में जमा प्रतिकर धनराशि मु0 रू0 5,78,51,476.00 की नियमानुसार 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि रू0 57,85,147.00 जमा कराए जाने का अनुरोध आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्रों में किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार को विजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुडौरा में वाद संख्या-30/2004, राधेलाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार अन्य भू-स्वामियों द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सन्दर्भ में जमा प्रतिकर धनराशि रू0 5,78,51,476.00 की नियमानुसार 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि रू0 57,85,147/- (रूपया सत्तावन लाख पचासी हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 57,85,147/- (रूपया सत्तावन लाख पचासी हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 57,85,147/- (रूपया सत्तावन लाख पचासी हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाएगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के पूँजीगत लेखाशीर्षक-"5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800- अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-1377/दस-2020, दिनांक 15 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0- 26/2021/2437(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ।
7. मा0 पीठासीन अधिकारी, महानगर पालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।